अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए स्कीम

2854. **डा० रत्नाकर पाण्डेय**: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश की छोटी-छोटी कालोनियों में जिनकी आबादी मात्र 200-250 व्यक्तियों की है, रह रहे हरिजनों और आदिवासी लोगों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए कोई स्कीम बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसे गांवों और कालोनियों की संख्या कितनी हैं, जिन्हें इस उद्देश्य के लिए चुना गया है ; और

(ग) इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर): (क) से (ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यवाही योजना के अन्तर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्र में सरकार का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बहुल जनसंख्या वाले राज्यों, अर्थात आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल, में 200 अथवा इससे अधिक की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाली 10,000 बस्तियों में सेवा पैकेज उपलब्ध कराने का प्रावधान है। लाभ के इस पैकेज में (i) यदि नजदीक में कोई प्राइमरी स्कूल न हो तो भवन सहित और गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्र की स्थापना (ii) हैंडपंप/पीने के पानी के स्रोत का प्रावधान (iii) कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अन्तर्गत गलियों में प्रकाश व्यवस्था तथा गरीब परिवारों के लिए एकल प्वाइंट प्रकाश सयोजन (iv) अ०ज०जा० के छोटे आंशिक किसानों के लिए सिंचाई हेतु कुंए प्रदान करना जिनके पास सिंचाई सुविधाएं नहीं हैं, तथा (v) भूमि के स्वामित्व की जांच पड़ताल करना तथा जहां कहीं आपेक्षित हो, उन्हें पुनः बहाल करना आदि शामिल है। इन राज्यों में 10,000 बस्तियों का पता लगाने की प्रक्रिया चल रही है।

राजस्थान विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदला जाना

2855. **डा० अबरार अहमद खान**: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलने के लिए क्या-क्या मानदण्ड हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि राजस्थान विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में बदले जाने के लिए पात्र है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार राजस्थान राज्य में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय होने की आवश्यकता को स्वीकार करती है ; यदि हां, तो राजस्थान विश्वविद्यालय को कब तक एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय बना दिये जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर): (क) से (ग) नीति के एक मामले के तौर पर, केन्द्रीय सरकार राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करने के पक्ष में नहीं है ; अतः राजस्थान विश्वविद्यालय को एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में एक अलग केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Pusa Public Schools in Delhi

2856. SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Pusa Public School is being run in more than one locality in Delhi;

(b) if so, whether it is in violation of the terms of recognition granted by the Delhi Administration; and

(c) if so, what action Government have taken in this regard?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI P. SHIV SHANKER): (a) According to Delhi Administration, there is only one school at Pusa which has been recognised by the Delhi Administration.

(b) and (c) Do not arise in view to reply (a) above.

Abolition of four sections in Kendriya Vidyalaya No. 2 Agra

2857. SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that four sections have been abolished in Kendriya Vidyalaya No. 2, Agra, though the number of students from Class V to VIII did not diminish;

(b) if so, what are the reasons therefor and what is the justification thereof;

(c) whether it is a fact that the revised sanction for re-opening of four sections has been given; and

(d) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI P. SHIV SHANKER): (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

Sanction for a project on Fatehpur Sikri by Aligarh Muslim University

2858. SHRI SHANKER SINH VAGHELA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Professor R.C. Gaur, Department of History, Aligarh Muslim University was sanctioned a sum of Rs. 50,000/- for a project on Fatehpur Sikri;

(b) what is the number of instalments in which this amount was released to Prof. Gaur;

(c) whether it is a fact that the Chairman took upon himself to release 95 per cent of the amount i.e. Rs. 45,000 in a lumpsum; if so, the reasons therefor;

(d) whether it is also a fact that one Dr. Siddiqui also got a grant in lumpsum from the Chairman for a similar project; and

(e) what are the details in regard to (a) to (d) above?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI P. SHIV SHANKER): (a) to (e) According to the information furnished by the Indian Council of Historical Research and the Aligarh Muslim University, Prof. Gaur has not been sanctioned a sum of Rs. 50,000/- for a project on Fatehpur Sikri. Therefore, the question of the Chairman, I.C.H.R., releasing 95 per cent of the amount i.e. Rs. 45,000/- in lumpsum, does not arise.

The I.C.H.R. and the A.M.U. have stated that no person by the name of Dr. Siddiqui has obtained a grant for work on Fatehpur Sikri.

Select panels for direct recruitment of non-teaching employees and teachers of Union Territories

2859. SHRI ISH DUTT YADAV: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what are the latest norms/rules formulated by Government to regulate the preparation of select-panels for direct recruitment of Central Government non-teaching employees and teachers of Union Territories;